

हरियाणा सिविल सचिवालय
सचिवालय स्थापना संगठन
कार्यालय आदेश

प्रायः देखने में आया है कि हरियाणा सिविल सचिवालय में कार्यरत सरकारी कर्मचारी अपने प्रभारी अधिकारी की अनुमति के बिना कार्यालय/मुख्यालय छोड़कर चले जाते हैं या आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय में रहने के लिए आनाकानी करते हैं जो कि हरियाणा सिविल सेवाएं (सरकारी कर्मचारी आचरण) नियम 2016 के अन्तर्गत उनकी अनुशासनहीनता को दर्शाता है।

हरियाणा सिविल सेवाएं (सामान्य) नियम 2016 के नियम 25 के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी हर समय सरकार के निपटान पर है उसे उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जनहित में किसी समय किसी भी दिन ड्यूटी पर बुलाया जा सकता है। इसलिए हरियाणा सिविल सचिवालय में कार्यरत सभी सरकारी कर्मचारियों को निर्देश दिए जाते हैं कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने प्रभारी अधिकारी की अनुमति बिना कार्यालय/मुख्यालय छोड़कर नहीं जाएगा, अन्यथा उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक, चण्डीगढ़
25.09.2019

महेश्वर शर्मा
विशेष सचिव, हरियाणा सरकार,
सचिवालय स्थापना।

पृ0क0 19/48/2014-4स्था0-II,

दिनांक 26.09.2019

इसकी एक-एक प्रति निम्नलिखित को भेजते हुए अनुरोध किया जाता है कि वे अपने अधीनस्थ कार्य कर रहे सभी सरकारी कर्मचारियों को उपरोक्त आदेश अनुपालनार्थ नोट करवा दें :-

1. मुख्य मंत्री, हरियाणा/सभी मंत्रियों/राज्य मंत्रियों के वरिष्ठ सचिव/सचिव/निजि सचिव।
2. हरियाणा सिविल सचिवालय के मुख्य सचिव/सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों/सचिवों/विशेष सचिवों/संयुक्त सचिवों के निजि सचिव/निजि सहायक, उप/अवर सचिवों/विशेष कार्य अधिकारियों के स्टैनोज।
3. विशेष वरिष्ठ सचिव/पी0एस0सी0एम, निजि सचिव/ए0पी0एस0सी0एम, निजि सचिव/डी0पी0एस0सी0एम/निजि सचिव/ओ0एस0डी/सी0एम, ।
4. हरियाणा सिविल सचिवालय के सभी अधीक्षक/अनुभाग अधिकारी/उपाधीक्षक/शाखाध्यक्ष/पुस्तकालयध्यक्ष/स्थानीय सहायक/प्रशासकीय अधिकारी/परिचालन सहायक।
5. प्रधान स्थानीय आयुक्त, हरियाणा भवन, नई दिल्ली ।
6. सचिव, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ।
7. सचिव, राज्य सैनिक बोर्ड, हरियाणा।
8. निजि सहायक/विपक्ष के नेता।
9. चेयरमैन/हरियाणा स्वतंत्रता सैनानी सम्मान समिति।
10. लोकायुक्त, हरियाणा।
11. डी0ए0/मुख्य सचिव, हरियाणा।

